कार्यालय निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–प्रारं / बजट / बी–1 / बैंक खाता / 2016–17 / 11 दिनांकः 6/7/16

उप निदेशक,
प्रारंभिक शिक्षा, समस्त।

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारंभिक शिक्षा, समस्त।

विषयः– विभागीय अधिकारियों / विभागों / बोर्ड / निगमों / संस्थाओं के बैंक खातों की समीक्षा के क्रम में।

संदर्भः– संयुक्त शासन सचिव, प्रारंभिक शिक्षा (आयोजना) अनुभाग, राजस्थान जयपुर का पत्रांक प. 1(20)प्राशि / आयो. / 2015 दिनांक 21–4–2016, विशिष्ट शासन सचिव (बजट) की अ.शा.टीप क्रमांक प.21(2)विमा / 2010 दिनांक 11–4–2016, प्रारंभिक शिक्षा (आयोजना) विभाग का पत्र क्रमांक प.23(2)प्राशि / आयो / 2015 दिनांक 30.06.2016 एवं शासन सचिव वित्त(बजट), वित्त (मार्गोपाय) विभाग राजस्थान जयपुर की अ.शा. टीप क्रमांक प.21(2)विमा / 2010 दिनांक 28.06.2016 एवं इस कार्यालय का समसंख्यक पत्र दिनांक 27.4.2016. एवं 30.05.2016

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र तथा अ.शा. टीप की प्रति आपको प्रेषित कर आपके कार्यालय तथा आपके मण्डल / जिले में स्थित प्रारंभिक शिक्षा विभाग के सभी कार्यालय के बैंक खातों की सूचना संकलित कर समेकित सूचना निर्धारित प्रारूप में तीन दिवस में भिजवाने हेतु इस कार्यालय द्वारा पूर्व में आपको लिखा गया था।

लेकिन खेद का विषय है कि आपके द्वारा उक्त सूचना अभी तक प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण राज्य सरकार को प्रेषित नहीं की जा सकी है।

अतः पुनः लेख है कि **संलग्न प्रपत्र अनुसार** वांछित समेकित सूचना सॉफ्ट कॉपी (एक्सल में) तथा हार्ड कॉपी (हस्ताक्षरित स्केन कर) इस कार्यालय की मेल आई.डी. budgetele.edu@gmail.com पर तत्काल भिजवावें।

सूचना प्रेषित नहीं किए जाने पर राज्य सरकार के समक्ष विपरीत स्थिति होने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।

संलग्न–उपर्युक्तानुसार।

वित्तीय सलाहकार
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर।
2. निदेशक, राज्य शिक्षा अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण संस्थान (SIERT) उदयपुर।
3. प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, समस्त।
4. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक) निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा, समस्त।
6. प्रधानाध्यापक, राजकीय विशिष्ट पूर्व प्राथमिक विधालय, समस्त।
7. आहरण एवं वितरण अधिकारी, निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
8. अनुभागाधिकारी, पेंशन स्थिरीकरण (नियम) / योजना / अंकमिलान अनुभाग।

वित्तीय सलाहकार

क्र. सं.	विभाग/बोर्ड/निगम/संस्था का नाम	विद्यमान बैंक खातों का विवरण		प्रत्येक बैंक खाता खोलने का उद्देश्य	क्या वित्त विभाग से बैंक खाता खोलने की स्वीकृति प्राप्त की गई थी (हां/नहीं)	दिनांक 31.03.16 को शेष राशि	विशेष विवरण
		खाता संख्या एवं प्रकार	बैंक का नाम				
1	2	3	4	5	6	7	8

नोट :– 1. कृपया बोर्ड/निगम/संस्था के अधिकारी अपने साथ बोर्ड/निगम/संस्था के गठन की अधिसूचना/अधिनियम की प्रति, बोर्ड/निगम/संस्था के गठन के उद्देश्य, आय के स्त्रोत, गत तीन वर्षों के व्यय का मदवार विवरण की सूचना साथ लावें।

2. कालम संख्या 7 में अंकित समस्त राशि का कुल योग अंकित करावें।

3. प्रपत्र की सूचना exel sheet में email address - dswm@rajasthan.gov.in पर कृपया email करने का श्रम करावें।

कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–प्रारं/बजट/बी–5/9908/2016–17/149 दिनांकः– 28/6/16

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा–

विषयः– चिकित्सा मद में विशेष बजट आवंटन के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार आपके मांग पत्र के क्रम में ***मांग संख्या 24 के तहत बजट मद 2202–सामान्य शिक्षा, 01–प्रारंभिक शिक्षा, 101–राजकीय प्राथमिक विद्यालय, (01)–बालकों के लिए उ.प्रा.वि. [00]–सामान्य व्यय, 04–चिकित्सा व्यय (आयोजना भिन्न व्यय)*** अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए निम्नानुसार कार्यालय को गम्भीर रोग से ग्रसित कार्मिकों अथवा उनके परिवार के सदस्यों के बकाया चिकित्सा पुनर्भरण हेतु राशि का आवंटन किया जा रहा है। राशि का उपयोग सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम 2008/2013 के अनुसार किया जावे।

क्र.स.	आफिस आईडी	कार्यालय का नाम	04–चिकित्सा व्यय में आवंटित राशि रूपयों	विवरण
1.	1581	भीलवाड़ा	120680	श्री अशोक कुमार दुबे प्रअ. राउप्रावि सिन्धुनगर के गंभीर रोग उपचार पर व्यय के पनुर्भरण हेतु।
2.	1584	उदयपुर	63733	श्री मदन लाल कुम्हार स.कर्मचारी राउप्रावि सुन्दरवास की पत्नि के किडनी रोग उपचार पर व्यय के पुनर्भरण हेतु।
		योग	184413	

(अंके रूपये एक लाख चोरासी हजार चार सौ तेरह मात्र)

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.5(थ–75) कोष/IFMS/कोषालय/23484–23623 दिनांक 13.12.2013 के तहत IFMS अंतर्गत कोषालय से प्रत्येक माह की 1 से 10 तारीख तक बुक किये आय–व्यय के आंकडों का मिलान 14 तारीख तक एवं 11 तारीख से माह के अन्त तक बुक किये गये आंकडो का मिलान आगामी माह की 3 तारीख तक आवश्यक रूप से किया जावे।

उपरोक्त राशि का आवंटन इस शर्त के साथ जारी किया जा रहा है, कि राशि का भुगतान संबंधित कर्मचारियों को चिकित्सा पुर्नभरण नियमानुसार करने का दायित्व संबंधित अधिकारी का होगा। यदि अधिक भुगतान होता है तो वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक F9(14)fd\rules\2005pt जयपुर दिनांक 22.07.2014 के अनुसार रिकवरी सुनिश्चित करें।

28/6/16

लेखाधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपिः–
1. महालेखाकार, लेखा एवं हक राजस्थान जयपुर।
2. सिस्टम एनालिस्ट(संयुक्त निदेशक), माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर।
3. सहायक लेखाधिकारी, अंक मिलान अनुभाग।
4. संबंधित कार्मिक श्री/श्रीमती ....
5. रक्षित पत्रावली।

28/6/16

लेखाधिकारी

कार्यालय निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–प्रारं/बजट/बी–5/9719/2016–17/42 दिनांक 6/7/16

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

ऑफिस आई.डी.911

विषयः–शिक्षा के अधिकार अधिनियम अन्तर्गत सत्र 2015–16 में पुनर्भरण से वंचित गैर सरकारी विद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु बजट आवंटन।

प्रसंगः–आपका पत्र क्रमांक शिविरा/बजट/बी–3/25250/2016–17 दिनांक 23.6.16

विषयान्तर्गत निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ग) में किये गये प्रावधानों की पालना मे राज्य के गैर सरकारी विद्यालयों में दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के बालकों को निःशुल्क शिक्षण हेतु प्रवेश के उपरान्त सत्र 2015–16 में प्रतिपूर्ति से वंचित निजी विद्यालयों को पुनर्भरण के लिए निर्देशानुसार विभिन्न लेखामदों में राशि का आवंटन निम्नानुसार किया जा रहा है।

क्र.स.	बजट मद	सत्र 2015–16 में वंचित के लिए आवंटित राशि रूपयों में
1	2202–01–800–14–00–57 (आयोजना व्यय)	**2547260**
2	2202–01–796–11–00–57 (आयोजना व्यय)	**4256840**
	योग	**6804100**

(रूपये अडसठ लाख चार हजार एक सौ मात्र)

उक्त राशि वर्ष 2016–17 में उपयोग हेतु आवंटित की गई है तथा राशि का उपयोग इस कार्यालय के आर.टी.ई. अनुभाग द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के अनुसार नियमानुसार किया जावे।

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.5(थ–75)कोष/IFMS/कोषालय/23484–23623 दिनांक 13.12.2013 के तहत आई.एफ.एम.एस के अन्तर्गत कोषालय से प्रत्येक माह की 1 से 10 तारीख तक किये गये आय व्यय के आंकड़ो का मिलान 14 तारीख तक एवं 11 तारीख से माह के अन्त तक का मिलान आगामी माह की 3 तारीख तक आवश्यक रूप से किया जाये।

भवदीय,

वित्तीय सलाहकार,
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हक, राजस्थान जयपुर।
2. सिस्टम एनालिस्ट(संयुक्त निदेशक) माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर।
3. निजी सचिव, निजी अनुभाग,निदेशक महोदय।
4. सहायक निदेशक,आरटीई अनुभाग।
5. सहायक लेखाधिकारी, अंक मिलान/योजना अनुभाग।
6. रक्षित पत्रावली।

वित्तीय सलाहकार